फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

डी. बी. ... बनाम / केशव

केस संख्या : 69/2023 (धारा)

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र ।। हेतु दिनांक 26-5-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	26-5-25	आज दिनांक 26/5/25 को पत्रावली पेश हुई ... अवकाश ... पर है। अतः पत्रावली दिनांक 3/6/25 को पेश हो।	
	3-6-2025	पत्रावली प्रस्तुत / व.फ.उप. / पूर्वानुसार वास्ते आदेश प्रा०पत्र धारा-।। हेतु दिनांक 6-6-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	6-6-2025	पत्रावली प्रस्तुत / व०फ०उप० / पत्रावली प्रार्थना पत्र धारा-।। के आदेश हेतु नियत है। उक्त विवादित आराजी से संबंधित वाद संख्या 75/2023 बउनवान अशोक कुमावत बनाम प्रकाश चांदवानी इस पत्रावली के साथ दिनांक 6-6-2024 को शामिल किया गया था। यह वाद पत्र एवं उक्त अन्य वाद पत्र बंटवारे के है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा-।। स्वीकार होने पर यह वाद पत्र एवं शामिल वाद 75/2023 बउनवान अशोक कुमावत बनाम प्रकाश चांदवानी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार ... दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 69/2023 वाद प्रस्तुति दिनांक –21.07.2023

1. डॉ. बी.एल. गुप्ता पुत्र बनारसी लाल, जाति महाजन, निवासी प्लोट संख्या ई–522, मण्डोता स्कीम जयपुर, जिला जयपुर
2. डॉ. प्रकाश चांदवानी पुत्र खेमचन्द, जाति सिंधी, निवासी एस–4, बिदावत मार्ग, अम्बावाडी जयपुर।

....वादीगण

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र रामदयाल, जाति कुमावत निवासी ओझाजी गांधी नगर मोड टोंक रोड जयपुर
2. पिंकी उर्फ बेबी पत्नी अशोक कुमार, जाति कुमावत, निवासी ओझाजी गांधी नगर मोड टोंक रोड जयपुर
3. लालचन्द पुत्र बलदेव जाति बागडा ब्रहम्ण निवासी नांगल पुरोहित तहसील आमेर जयपुर
4. साधूराम पुत्र कालूराम जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम सबलपुरा तहसील चौमू जयपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जयपुर
6. उप पंजीयक, कार्यालय रामपुरा डाबडी जयपुर

......प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –11 संपठित धारा 151 सीपीसी

निर्णय दिनांक – 06.06.2025

हस्तगत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने प्रस्तुत वाद में तथ्य छिपाया कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बाबत एक वाद बाबत तकासमा उनवान प्रकाशचदं व अन्य बनाम श्रीमति राजकुमारी व अन्य के विरूद पूर्व में श्रीमान न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर जयपुर के यहॉ प्रस्तुत किया जा चुका था जो कि 181/2009 के रूप में दर्ज किया गया जिसमें वादीगण बतौर प्रतिवादी संख्या 10 व 11 उपस्थित हुये । इस प्रकार से उपरोक्त उनवानी प्रकरण प्रकाशचन्द व अन्य बनाम श्रीमति राजकुमारी व अन्य का ज्ञान वादीगण को था, ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत किया । सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 यह कहती है कि " पूर्व न्याय (Res Judicata) कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाधक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः ओर सारतः विवाध – विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारो के बीच कें, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:47 IST
Reason: SelfAttested

दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाध रहा है, जो ऐसे पश्चवर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाधक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चत किया जा चुका है" । इस प्रकार से पूर्व में श्रीमान न्यायालय के समक्ष एक वाद खसरा नम्बर 451 रकबा . 89 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 571 रकबा 01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 572 रकबा 01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 574 रकबा 3.92 हैक्टेयर, कुल 4 रकबा 4.83 हैक्टेयर के विभाजन के लिए उनवानी प्रकाशचन्द व अन्य बनाम राजकुमारी व अन्य प्रस्तुत किया । उपरोक्त उनवानी प्रकरण प्रकाशचन्द व अन्य बनाम श्रीमति राजकुमारी व अन्य में श्रीमान न्यायालय द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 451 खोराबीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर 8900 हैक्टेयर कृषि भूमि व अन्य कृषि भूमि के तकासमा के बिन्दु को तय करते हुए दिनाक 01/12/2010 को प्रारम्भिक डिकी जारी कर वादग्रस्त भूमि की मौका निरीक्षण व मोका पैमाईस कर राजस्व रिकार्ड अनुसार पक्षकारान् द्वारा धारित भूमि के मोके के कब्जे काश्त अनुसार कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने वास्ते तहसीलदार आमेर को भिजवाया गया।

5. यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण प्रकाशचन्द व अन्य बनाम श्रीमति राजकुमारी व अन्य में श्रीमान न्यायालय ने दिनाक 18/06/2016 को वादग्रस्त कृषि भूमि जो कि खसरा नम्बर 451 खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर के तकासमा के बिन्दु पर वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि " पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर खोरा बीसल में पेश हुई। पैरोकार सरकार ने आपत्ति पेश की कि वादग्रस्त अराजियात का दीगर व्यक्तियों को विकय हो चुका है एवं पक्षकार के मध्य सहमति से विभाजन भी हो चुका है। मोके पर उपस्थित पक्षकार ने भी उक्त कथन का समर्थन किया। हस्तगत प्रकरण ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात पर मौके पर भूखण्ड विकसित हो चुके है अतः कुर्रेजात पेश करना संभव नहीं है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है । उपरोक्त उनवानी प्रकरण प्रकाशचन्द व अन्य बनाम श्रीमति राजकुमारी व अन्य में श्रीमान न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 451 खोरा बीसल तहसील आमेर जिला जयपुर के तकासमा के बिन्दु को तय करते हुए तथा इस तथ्यों को सही मानते हुए कि उक्त खसरा नम्बर 451 की भूमि पर भूखण्ड विकसित हो चुके है और कुर्रेजात पेश किया जाना संभव नहीं है इस लिए खसरा नम्बर 451 ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर की वादग्रस्त कृषि भूमि का तकासमा मीटस् एण्ड बाउण्ड के आधार पर नहीं किया जा सकता है अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

वाद खारिज फरमाया । इस प्रकरण में वर्तमान वाद की वादग्रस्त खसरा नम्बर 451 खोरा बीसल तहसील आमेर जिला जयपुर के मीटस् एण्ड बाउण्ड के आधार पर तकासमा के बिन्दु को पूर्व में ही श्रीमान न्यायायल द्वारा उनवानी प्रकरण प्रकाशचन्द व अन्य बनाम राजकुमारी व अन्य में दिंनाक 18/06/2016 को तय किया जा चुका है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिंनाक 18/06/2016 में यह स्वीकार किया कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 451 ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर की कुर्रेजात रिर्पोट पेश किया जाना संभव नहीं है, इस लिए खसरा नम्बर 451 के तकासमे बाबत प्रस्तुत वाद को खारिज फरमा दिया गया जो कि वादी ने स्वीकर कर लिया और उक्त आदेश की अपील वादीगण द्वारा आज दिंनाक तक नहीं की गई । उपरोक्त उनवानी प्रकरण प्रकाशचन्द व अन्य बनाम श्रीमति राजकुमारी व अन्य में वादीगण बतौर प्रतिवादी संख्या 10 व 11 उपस्थित रहे है और प्रकरण में खसरा नम्बर 451 खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर के तकासमें बाबत कुरेजात तैयार किया जाना सम्भव नहीं होने के तथ्य ज्ञात थें। वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि का पूर्व में ही वादीगणा व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 में मध्य सहमति से अपने अपने हिस्से में काबिज होकर उपयोग व उपभोग में लेने का सहमति बिन्दु पत्र मय नक्शा बन चुका है, ऐसी स्थिति में वादी का वाद का विवाधक पूर्व में ही तय हो चुका है जिसके लिए नया वाद लाना धारा 11 सीपीसी के तहत बाधित है। इस लिए वादी का वाद उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक व आपेक्षित है व न्यायोचित है।

वादी/अप्रार्थी द्वारा प्राथना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त भूमि पूर्व में प्रकाश चन्द व अन्य बनाम श्रीमती राजकुमार व अन्य न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर के समक्ष प्रकाश चन्द द्वारा खसरा नम्बर 451, 571, 574 के संबंध में प्रस्तुत किया गया था उक्त वाद में वादी बतौर प्रतिवादी संख्या [illegible] थे, प्रकाश चन्द द्वारा प्रस्तुत वाद को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका हैं। पूर्व वाद एवं उक्त वाद में पक्षकार भिन्न भिन्न है एवं पूर्व वाद [illegible] द्वारा प्रस्तुत नही कर अन्य खातेदार प्रकाश चन्द द्वारा प्रस्तुत किया गया था [illegible] वादी द्वारा केवल मात्र खसरा नम्बर 451 के संबंध में ही प्रस्तुत किया हैं। वादी ने माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार के कोई तथ्य नही छिपाये हैं। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण में देरीना करने की गरज से पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 3 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

असत्य बनावटी होने से अस्वीकार है। जैसा कि उपरोक्त मद में स्पष्ट किया जा चुका है कि पूर्व में प्रकाश चन्द बनाम राजकुमारी प्रस्तुत किया गया था वह खसरा नम्बर 571, 572, 574 451 संबंध में प्रस्तुत किया गया था जो खारिज हो चुका है तथा वर्तमान में वादी द्वारा केवल मात्र खसरा नम्बर 451 के संबंध में वाद पेश किया गया है पूर्व वाद एवं वर्तमान में पक्षकार व विषयवस्तु भिन्न भिन्न है एवं वादकारण भी भिन्न भिन्न हैं। इस कारण उक्त प्रकरण धारा 11 के प्रावधान किसी भी सूरत में लागू नही होते हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई विधिक विभाजन नही हुआ है। इस कारण वादी द्वारा उक्त वाद अपने हक व हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने हेतु पेश किया गया हैं मिन उत्तरदाता की भूमि आज भी कृषि कार्य के उपयोग में आ रही हैं। इस कारण धारा 11 के प्रावधान उक्त प्रकरण पर लागू नही होते हैं। मिन उत्तरदाता अपने हक व हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

उभयपक्ष की बहस, दस्तावेजो एवं तथ्यो का अवलोकन किया गया। प्रकरण एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय के वाद संख्या 181/2009 बउनवानी प्रकाश चंद बनाम राजकुमारी वगैराह में अन्य खसरा नंबरान् के साथ साथ प्रस्तुत वाद में विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 451 के संबंध में भी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2010 को वाद बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को निर्णित करते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जा चुकी है। जिसकी प्रति प्रार्थी द्वारा पेश की गई है। उसके पश्चात् तहसीलदार/पैरोकार सरकार ने आपत्ति पेश की कि *"वादग्रस्त आराजियात का दीगर व्यक्तियों को विकय हो चुका है एवं पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से विभाजन भी हो चुका है। मौके पर उपस्थित पक्षकरान ने भी उक्त कथन का समर्थन किया। हल्का पटवारी ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर मौके पर भू–खण्ड विकसित हो चुके है अतः कुरा पेश करना संभव नही है इस प्रकार वाद खारिज किया गया।"*

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:47 IST
Reason: SelfAttested

उक्त निर्णित वाद में वर्तमान प्रार्थीगण डॉ. बी.एल. गुप्ता पुत्र बनारसी लाल एवं डॉ. प्रकाश चांदवानी पुत्र खेमचन्द पूर्ववर्ती निर्णित वाद में प्रतिवादी नंबर 10 व 11 बतौर पक्षकार थे तथा उक्त पूर्ववर्ती निर्णित वाद में प्रार्थी अशोक कुमार कुमावत भी बतौर पक्षकार प्रतिवादी नंबर 9 दर्ज था, उक्त पूर्ववर्ती निर्णित वाद में अंतिम निर्णय दिनांक 18.06.2016 को पारित किया गया है जिसमें

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विवादित आराजीयात पर भूखण्ड विकसित होने के कारण कुर्रेजात बनाना संभव नही है। अर्थात उक्त वाद का अंतिम निस्तारण किया जा चुका है। अर्थात पूर्ववर्ती निर्णित वाद Finally adjudicate किया जा चुका है, इसके अतिरिक्त यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जब वर्ष 2010 में ही हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी पर भूखण्ड विकसित हो चूके थे तो अब 2025 में यह समझना कि उक्त आराजी कृषि प्रयोजनार्थ है तो उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत दस्तावेज न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत द्वितीय (राज0) के मुदांक प्रकरण संख्या 886/10 निर्णय दिनांक 31.12.2010 की छायाप्रति में विवादित आराजी खसरा नम्बर 451 रकबा 0.89 हैक्टेयर के संबंध में उल्लेख किया गया है कि *स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मय पटवार हल्का दिनांक 30.12.2010 को मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर भूमि कृषि उपयोग में नहीं आ रही थी, प्लॉट कटे हुये तथा रोड डली हुई पाई गयी। तथा मौके पर निर्माण कार्य जारी पाया गया। प्रश्नगत भूमि कृषि उपयोग में नही आ रही है आवासीय प्रयोजनार्थ है उक्त आराजी का मुल्यांकन आवासीय भूमि हेतु निर्धारित डी.एल.सी. दर से मूल्यांकित की जानी चाहिए। इस प्रकार कलक्टर मुदांक जयपुर द्वितीय द्वारा 1,98000/– रूपये वसूल किये जाने के आदेश दिये गये तथा उक्त आदेश की पालना में वादी डॉ. बी.एल गुप्ता द्वारा दिनांक 22.01.2015 को चालान संख्या 4805617 द्वारा शुल्क जमा करवाया गया। उक्त रशीद की प्रति प्रतिवादी/प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश कि गई जिससे स्पष्ट है कि वादीगण को दावा दायरी से पूर्व से जानकारी रही है कि उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ नही है तथा बंटवारे के अनुतोष का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा पूर्व में किया जा चुका है।*

फलस्वरूप उपरोक्त वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत अर्थात रेसज्यूडिकेटा (Res judicata) के सिद्धांत [illegible] होने के कारण पोषणीय (Maintainable) नहीं है, चूकि इस वाद [illegible] दिनांक दिनांक 06.06.2024 [illegible] बनाम प्रकाश चांदवानी वगै. को वाद संख्या 75/2023 बउनवानी [illegible] में [illegible] 11 सीपीसी के तहत वाद हमफिता किया गया था अतः इस वादपत्र में [illegible] 11 सीपीसी के तहत वाद पोषणीय नही है, फलस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दोनो वादो को खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित की जाकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 18:20:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर